



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी (RTI) / निदेशक (प्र. व का.)
कमरा नं 201, वरुणालय फेज-II, करोल बाग,
नई दिल्ली - 110 005, दूरभाष नं: 2354479

क्रमांक DJB/FAA-RTI/Appeal No. 353/2015/उत्तर

दिनांक : 08.07.2015

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री देव प्रसाद के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रस्तुत अपील का निपटान किया गया।

आज दिनांक 08.07.2015 को उपरोक्त केस की सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता उपस्थित हुए। प्रशासन की ओर से श्री अमित कुमार जैन, AC(G)-I, PIO उपस्थित हुए।

अपीलकर्ता द्वारा दी गई RTI एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब से यह विदित होता है कि अपीलकर्ता को जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 01 के संदर्भ में SE (E&M) WS -II को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को उचित जवाब 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये।

AC (G)-I, PIO को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या 02 एवं 03 का उचित / स्पष्ट जवाब अपीलकर्ता को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराये।

इस प्रकार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरांत जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो अपीलकर्ता केंद्रीय सूचना आयोग से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है:-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
क्लब बिल्डिंग (पोस्ट ऑफिस के पास),
ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली 110067,
फोन नं 01126161796

हो/-
(यू. बी. त्रिपाठी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री देव प्रसाद,
स/० श्री सीता राम,
म.न. 31, ओल्ड चंद्रावल,
सिविल लाईन, दिल्ली - 110 054.

प्रतिलिपि :

- 1 जन सूचना अधिकारी – सहायक आयुक्त (सामान्य) – I
- 2 SE (E&M) WS -II, PIO
- 3 E.E(EDP)-DJB website पर अपलोड करने हेतु।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

8.7.15

प्रतिलिपि द्वारा दिया गया।

15.7.15